कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री कानपुर किरासिन एजेन्ट्स एसोसियेशन (रजि0), श्री मोहन लाल बंसल, 73 / 20, कलेक्टरगंज, कानपुर ।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**017 / 15, 22.05.2015**
प्रार्थी की ओर से	**श्री राज नाथ पाण्डेय, विद्वान अधिवक्ता ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री कानपुर किरासिन एजेन्ट्स एसोसियेशन (रजि0), श्री मोहन लाल बंसल, 73 / 20, कलेक्टरगंज, कानपुर द्वारा दिनांक 22.05.2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा इस प्रश्न का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है कि किरासिन ऑयल के परिवहन, नाप-तौल, रख-रखाव तथा अंशों में होने वाली बिक्री में अपरिहार्य क्षरण के अंश पर ITC का कोई प्रत्यावर्तन होगा या नहीं ?

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री राज नाथ पाण्डेय, विद्वान अधिवक्ता एसोसियेशन उपस्थित हुए । उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए बताया गया कि व्यापार संघ अपने सदस्य व्यवहारियों (Dealers) के लिए, सदा ही Person concerned है । कहा गया कि स्वयं राज्य सरकार एवं कमिश्नर, वाणिज्य कर से फील्ड के अधिकारियों को समय-समय पर यह निर्देश भेजे जाते हैं कि फील्ड के स्तर पर भी विभिन्न व्यापार-संघों से बैठक कर उनकी समस्याओं को मालूम करते हुए, जैसी स्थिति हो, स्थानीय स्तर पर निराकरण किया जाए या मुख्यालय सन्दर्भित किया जाए । ऐसी स्थिति में धारा-59 का कोई भी निवेदन यह कहकर अग्राह्य घोषित नहीं होना चाहिए कि व्यवहारी की किसी समस्या के लिए सम्बन्धित व्यापार संघ कोई Person concerned नहीं है । जहॉ तक किसी ' Person or dealer ' का पक्ष किसी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने की बात है, तो स्वयं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के नियम-73 में इस तरह की अधिकारिता विहित की गयी है । प्रार्थना-पत्र में उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि विधि का यह सिद्धान्त सु-स्थापित है कि कोई भी कानून केवल सम्भवता (Possibility) के साथ ही बनाया गया पढ़ा जा सकता है, असम्भवता (Impossibility) की अपेक्षा के साथ नहीं । इस तरह जहॉ क्षरण मानव के ज्ञान, विज्ञान एवं तकनीक के नियन्त्रण के बाहर, अर्थात् नैसर्गिक हो, वहॉ उससे बच सकने की असम्भवता को अनदेखा करके न कोई कानून पढ़ा जाना चाहिए न ही लागू किया जाना चाहिए । अत: निवेदक की समझ से किभी भी नैसर्गिक क्षरण, जो फिलहाल मानव के ज्ञान, विज्ञान एवं तकनीक के नियन्त्रण के बाहर है, को इन उपबन्धों के अन्तर्गत ITC के प्रत्यावर्तन के लिए क्षरण (loss) नहीं माना जाना चाहिए एवं इनके अनुपात में ITC का कोई प्रत्यावर्तन नहीं होना चाहिए । संघ के सदस्यों ने अवगत कराया है कि इस बात को लेकर भ्रम एवं विवाद है कि क्षरित माल की मात्रा के अनुपात में ITC प्रत्यावर्तित होगी या क्षरण के नाम पर बढ़ाये गए मूल्य के अनुपात में करयोग्य विक्रय-धन कम कर दिया जाएगा । क्योंकि यदि यह बात आती है जितनी मात्रा का क्षरण

....2

होने, अर्थात् जितनी मात्रा का विक्रय असम्भव होने से, उस पर ITC प्रत्यावर्तित होनी चाहिए तो फिर यह बात भी उठती है कि उस क्षरित मात्रा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य को किसी माल का विक्रय तथा विक्रय कर हेतु करयोग्य कैसे माना जा सकता है ? इस तरह क्षरित मात्रा पर मूल्य की प्राप्ति कोई अ-न्यायपूर्ण समृद्धि भी नहीं है, क्योंकि यह क्षरण वास्तव में होता है तथा विक्रेताओं से इसका सम्बन्ध केवल इतना भर है कि विक्रेता ही माल ग्राहक तक पहुँचाते हैं । ग्राहक यदि माल स्वयं संभालते (Handle करते) तब भी यह क्षरण होता ।

यह विवाद शुद्ध कर-दायित्व (Net Tax-liability) की धनराशि के निर्धारण से सीधे जुड़ा होने से इसके निर्णयन का बिन्दु, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 की उप-धारा (1) के खण्ड (ई) के अन्तर्गत आता है । इस सम्बन्ध में विनिर्णय Commissioner of Service Tax v. Ernst and Young P. Ltd. (Del, DB, 25.02.2014); (2014) 27 GSTR 22; (2014) 72 VST 51 देखा जा सकता है, जिसमें माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कर की दर के विवादों में ऐसे विवाद भी आयेंगे कि किसी Activity पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर का दायित्व है या नहीं । ITC की पूरी सुलभता या उसके किसी अंश का प्रत्यावर्तन या क्षरण अंश पर प्राप्त मूल्य पर कर-दायित्व होना या न होना, कर की सकल देयता से सम्बन्धित होने से ऐसे विवाद माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के इस विनिर्णय (Ruling) के आलोक में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) (ई) के अन्तर्गत आते हैं । अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय, इलाहाबाद एवं उच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला निम्न प्रकार दिया गया :-

1. Standard Chartered Bank v. Directorate of Enforcement; (SC, 5-IB, 05.05.2005); (2005) 4 RC 724, 747
2. M.K. Traders v. State of UP (All, DB, 18.12.2006); (2007) 5 VLJ 266; 2007 UPTC 494
3. Sterling Foods v. State of Karnataka, (SC, 3-J, 21.07.1986); (1986) 63 STC 239
4. State of TN v. Tata Oil Mills Co. Ltd., (Madr,DB, 09.09.1991); (1994) 94 STC 218

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर के पत्र संख्या-580, दिनांक 18.06.2015 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में निम्न प्रकार से व्यवस्था दी गयी है :-

" यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "-

1. कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यवहारी है या
2. किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य विशेष स्वत: या परिणामत: माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है, या
3. कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हॉ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति क्या

...3

है, या

4. किसी व्यवहारी विशेष से पंजीयन कराना अपेक्षित है, या

5. किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हॉ, तो उसकी दर क्या है-

तो सम्बन्धित व्यक्ति या व्यवहारी, धारा 72 में विनिर्दिष्ट शुल्क जमा करके, ऐसे दस्तावेजों सहित जो निर्धारित किये जायें, कमिश्नर को प्रार्थना-पत्र दे सकता है। इस प्राविधान से स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति तब तक प्रश्न नहीं पूँछ सकता है, जब तक वह पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से व्यापारिक गतिविधि न कर रहा हो।

प्रश्नगत मामले में सर्वश्री किरासिन एजेन्ट्स एसोसियेशन (रजि0) श्री मोहन लाल बंसल, 73 / 20, कलेक्टरगंज, कानपुर द्वारा स्वयं कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं की जा रही है और न ही वे पंजीकृत अथवा अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर हैं । ऐसी स्थिति में वे Person अथवा dealer concerned नहीं हैं। अत: उक्त एसोसियेशन विधिक प्रश्न नहीं पूँछ सकती है। इसलिए धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई । साथ ही कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 19.10.2012 का हवाला देते हुए कहा गया कि सर्वश्री उत्तर प्रदेश मेडिकल डेवाइसेस एण्ड इक्यूपमेन्ट ट्रेड एसोसियेशन, 4, बाल्मिकी मार्ग, लखनऊ का प्रार्थना-पत्र भी उपरोक्त आधार पर अस्वीकार किया जा चुका है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम की आख्या के अनुरूप सर्वश्री किरासिन एजेन्ट एसोसियेशन (रजि0) श्री मोहन लाल बंसल, 73 / 20, कलेक्टरगंज, कानपुर न तो dealer डीलर हैं और न ही Person concerned । इनके द्वारा कोई व्यापारिक गतिविधि संचालित नहीं की जाती है और न ही ये किसी प्रकार से पंजीकृत अथवा अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर हैं। अत: उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के प्राविधानों के अन्तर्गत Person or dealer concerned न होने के कारण अधिनियम के अन्तर्गत किसी प्रश्न के विनिश्चय हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अर्ह नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

उनके द्वारा यह भी कहा गया कि प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित निर्णय प्रश्नगत मामले में लागू नहीं होते क्योंकि ये न्यायिक निर्णय क्षरण के आधार पर खरीद-बिक्री स्वीकार / अस्वीकार किये जाने से सम्बन्धित हैं। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 में यह स्पष्ट प्राविधान है कि बिक्री हेतु खरीदे गये माल की बिक्री न करके यदि अन्यथा निस्तारण हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उक्त अन्यथा निस्तारित माल की खरीद दिये गये कर के समतुल्य ITC प्रत्यावर्तन किया जायेगा। जहॉ तक प्रार्थी द्वारा मूल्य का बिन्दु कहा गया है कि क्षरित मात्रा की क्षति पूर्ति हेतु अवशेष तेल की बिक्री जिस मूल्य पर की जाती है, उसी मूल्य पर कर आरोपित होता है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता है कि क्षरित तेल इस बिक्री किये गये माल की मात्रा में सम्मिलित हो गया। अत: क्षरित मात्रा के क्रय मूल्य के सापेक्ष ITC उत्क्रमित किया जाना पूर्णत: उचित है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,

.....4

वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में विहित प्राविधानों से स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति तब तक प्रश्न नहीं पूछ सकता है जब तक वह अपंजीकृत या अपंजीकृत रूप से व्यापारिक गतिविधि न कर रहा हो। प्रार्थी सर्वश्री कानपुर किरासिन एजेन्ट एसोसियेशन (रजि0), श्री मोहन लाल बंसल, 73 / 20, कलेक्टरगंज, कानपुर द्वारा स्वयं कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं की जा रही है और न ही वह पंजीकृत अथवा अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर है। अतएव वह Person or dealer concerned नहीं है तथा उक्त एसोसियेशन प्रश्न पूँछने के लिए पात्र नहीं है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि सर्वश्री स्टेशनरी विक्रेता एवं निर्माता एसोसियेशन, 53, बहादुर सिंह काम्प्लेक्स, द्वितीय तल, गुइन रोड, अमीनाबाद, लखनऊ के वाद में दिनांक 12.02.2014 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत दिये गये निर्णय में भी एसोसिएशन को प्रश्न पूँछने हेतु पात्र नहीं माना गया है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 09 नवम्बर, 2015

ह0 / 09.11.2015

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।